कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-88/2017-18/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

नगर पंचायत,

अगस्तमुनि

जनपद- रुद्रप्रयाग

वषय : नगर पंचायत अगस्तमुनि, जनपद- रुद्रप्रयागका वर्ष 2015-16 से 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 02 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-88/2017-18/ दिनांक : /01/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मंदिर, धर्मपुर, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अर्जुन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री धीरेन्द्र सिंह खाती, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **29.03.2016** से **02.04.2016** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **269.13 हेक्टेयर**

(ii) जनसंख्या: **6,557**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **06**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01 (नियमित) एवं 18 आउटसोर्सिंग पर**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **07 दुकानें एवं 01 कार्यालय भवन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	454868	1496261	1971047	1450597	19669722	7733550	0	975318	0	13432433
2015-16	975318	13432433	2021845	1117649	42272342	46697606	0	1879514	0	9007169
2016-17	1879514	9007169	3220738	3026932	30467526	7866551	0	2073320	0	31608144
कुल योग			**7213630**	**5595178**	**92409590**	**62297707**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	406780	406780	260934	145846
2	राज्य वित्त आयोग	262000	1447338	1709338	1272394	436944
3	अवस्थापना विकास निधि	423754	0	423754	406099	17655
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	दैवीय आपदा	1072507	610000	1682507	1531717	150790
6	राजीव आवास योजना	0	16570942	16570942	4552800	12018142
7	चारधाम यात्रा मद	0	200000	200000	200000	0
8	जिला योजना - पर्यटन	0	650000	650000	0	650000
9	जिलाधिकारी से अलाव हेतु	0	25000	25000	25000	0
10	जिला अर्थसंख्या से नवाचार निधि	0	757000	757000	757000	0
11	डी.पी.ओ. से आंगनवाड़ी निर्माण हेतु	0	450000	450000	0	450000
12	हुड़को से प्राप्त अनुदान (ब्याज सहित)	0	0	0	0	0
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	192868	523709	716577	178203	538374
	कुल योग	**1951129**	**21640769**	**23591898**	**9184147**	**14407751**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	145846	0	145846	145846	0
2	राज्य वित्त आयोग	436944	1056000	1492944	803271	689673
3	अवस्थापना विकास निधि	17655	2788000	2805655	2327514	478141
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	दैवीय आपदा	150790	1201737	1352527	1343094	9433
6	राजीव आवास योजना	12018142	36102605	48120747	40975008	7145739
7	चारधाम यात्रा मद	0	200000	200000	200000	0
8	जिला योजना - पर्यटन	650000	200000	850000	476144	373856
9	जिलाधिकारी से अलाव हेतु	0	30000	30000	30000	0
10	जिला अर्थसंख्या से नवाचार निधि	0	0	0	0	0
11	डी.पी.ओ. से आंगनवाड़ी निर्माण हेतु	450000	0	450000	0	450000
12	हुड़को से प्राप्त अनुदान (ब्याज सहित)	0	1750000	1750000	1200000	550000
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	538374	965845	1504219	314378	1189841
	कुल योग	**14407751**	**44294187**	**58701938**	**47815255**	**10886683**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	792000	792000	528000	264000
2	राज्य वित्त आयोग	689673	1056000	1745673	1743882	1791
3	अवस्थापना विकास निधि	478141	2324000	2802141	1886054	916087
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	205654	205654	205654	0
5	दैवीय आपदा	9433	0	9433	0	9433
6	राजीव आवास योजना	7145739	23242440	30388179	0	30388179
7	चारधाम यात्रा मद	0	150000	150000	150000	0
8	जिला योजना - पर्यटन	373856	0	373856	373856	0
9	जिलाधिकारी से अलाव हेतु	0	30000	30000	0	30000
10	जिला अर्थसंख्या से नवाचार निधि	0	0	0	0	0
11	डी.पी.ओ. से आंगनवाड़ी निर्माण हेतु	450000	0	450000	450000	0
12	हुड़को से प्राप्त अनुदान (ब्याज सहित)	550000	3723432	4273432	4272987	445
13	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1189841	2164738	3354579	1283050	2071529
	कुल योग	**10886683**	**33688264**	**44574947**	**10893483**	**33681464**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	406780	406780	260934	145846
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	145846	0	145846	145846	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	792000	792000	528000	264000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	205654	205654	205654	0

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `40,623/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा- पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग के चयनित निर्माण कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार चयनित **07** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`40,62,260/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`40,623/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे बताया कि लेबर सेस की धनराशि **`40,623/-** को संबन्धित ठेकेदारों से वसूलने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा वसूली हेतु संबन्धित ठेकेदारों से पत्राचार किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग द्वारा चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक)							
क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
					जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2015-16	दैवीय आपदा	श्री हरिहर सिंह रावत, विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के पीछे से बैंक कॉलोनी तक क्षतिग्रस्त जल मोड नाले का पुनः निर्माण	539755	5398	0	5398
2	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	श्री धीर सिंह बिष्ट, सौड़ी में पीपल के पेड़ के समीप NH से डुमधार तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	555589	5556	0	5556
3	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	श्री राजेन्द्र सिंह रम्ल्वाण, धान्यू प्राइमरी स्कूल से सतीश बेंजवाल के भवन तक मार्ग निर्माण कार्य	511814	5118	0	5118
4	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	श्री हरिहर सिंह रावत, वार्ड नं.-02 सौड़ी निवासियों हेतु NH से शमशान घाट तक रास्ते का निर्माण	428563	4286	0	4286
5	2015-16	अवस्थापना विकास निधि	श्री कमल चन्द्र, राष्ट्रीय राजमार्ग से बनियाडी तक मार्ग व रेलिंग निर्माण कार्य	571501	5715	0	5715
6	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री राजेन्द्र सिंह रम्ल्वाण, उमा देवी के घर के पीछे से अर्जुन सिंह के घर तक मार्ग, नाली निर्माण कार्य	567000	5670	0	5670
7	2016-17	अवस्थापना विकास निधि	श्री मातबर सिंह राणा, मुकेश भण्डारी के घर के पीछे रास्ता एवं सुरक्षा हेतु जाली लगाने का कार्य	888038	8880	0	8880
			कुल योग	**4062260**	**40623**	**0**	**40623**

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2: ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना |

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग के ठोस अपशिष्ट से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2.5 मीट्रिक टन अपशिष्ट के सापेक्ष केवल 1.5 मीट्रिक टन का ही उठान किया जा रहा था | इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जा रहा था परन्तु ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था | ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा था | इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के मानदंडों जैसे भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु भी नियमावली के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था |

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट के पास बिन, वाहन एवं उपकरणों में आवश्यकता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियाँ पाई गईं:-

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		आवश्यक्ता	उपलब्धता	कमी
बिन (4.0 घन मी.)		150	25	125
बिन (2.0 घन मी.)		50	00	50
कूड़ा वाहन	पिकअप	03	01	02
हाथगाड़ी		50	25	25

इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा नगर पंचायत के पास आवश्यकता के सापेक्ष बिन, वाहन एवं उपकरणों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भूमि की अनुपलब्धता एवं संशाधनों की कमी के कारण ठोस अपशिष्ट का पृथ्क्कीकरण नहीं किया जा रहा है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु नियमावली में वर्णित मानदंडों का किसी भी स्तर पर अनुपालन नहीं किया जा रहा था जबकि इकाई के पास स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध थे |

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **18 नवम्बर 2017** से **22 नवम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-87/2015-16/566 दिनांकित 18.07.2016	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 02	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-87/2015-16/566 दिनांकित 18.07.2016	**भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 1** : नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित आवासों का गृहकर हेतु मूल्यांकन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि।	नगर पंचायत द्वारा गृहकर की उपविधि बनाकर नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित भवनो का मूल्यांकन कर भवन कर आरोपित किया जा चुका है एवं भवन कर की वसूली की जा रही है। साक्ष्य स्वरूप भवन कर मूल्यांकन पत्र, मांग पंजिका एवं भवन कर प्राप्ति रशीद प्रस्तुत है।	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित आवासों का गृहकर हेतु मूल्यांकन कर गृहकर की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।	उक्त प्रस्तर को इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है	
	भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 2: नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के नियमों का पालन न किया जाना।	नगर पंचायत द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का डोर-टु-डोर कलेक्शन कर निस्तारित किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अद्यतन स्थिति पर आख्या लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत कर दी गयी है।	इकाई द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का डोर-टु-डोर कलेक्शन कर निस्तारित किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अद्यतन स्थिति को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब के प्रस्तर संख्या 02 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है		उक्त प्रस्तर की अद्यतन स्थिति को वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कर प्रस्तर संख्या भाग II-ब -02 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है	अतः उक्त प्रस्तर को अद्यतन के उपरान्त पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से निस्तारित किया जा सकता है	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री एम.एल.शाह	अधिशासी अधिकारी	01.04.15 से 31.03.17 तक
02.	श्री अशोक खत्री	अध्यक्ष	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पोखरी, जनपद-चमोली** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/35 दिनांकित 23.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या-01

दिनांक : _____